राजस्थान सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकःप05(13)उद्योग/2022 जयपुर, दिनांकः 08 SEP 2022

अधिसूचना

राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में कमजोर एवं वंचित वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा इन वर्गों के जीवन स्तर में वृद्धि करने के उद्धेष्य से राज्य के बजट प्रावधानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की व्यवस्था की गई है, जिससे इन वर्गों हेतु निर्धारित बजट का सदुपयोग करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके।

राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों यथा- विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार के विकास में अनुसूचित जाति एंव जनजाति वर्ग का योगदान एवं उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु राज्य के वार्षिक बजट 2022-23 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2022 लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से लक्षित वर्गों को उद्योग, सेवा एवं व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण आदि हेतु प्रभावी मार्गदर्शन, प्रदर्शन, सहयोग सहित विभिन्न प्रकार की सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

योजना का प्रमुख उदेश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित कर शहरों में हो रहे पलायन को रोकने, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम करने, शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को उद्यम की स्थापना एवं संचालन में सहयोग प्रदान करते हुए राज्य के विनिर्माण, सेवा एवं वाणिज्यिक विकास में लक्षित वर्ग की प्रभावी भूमिका एवं योगदान सुनिश्चित करना है।

1. योजना का नाम-

योजना का नाम "डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2022" है।

2. योजना की परिचालन अवधि-

राज्य में यह योजना अधिसूचित होने की तिथि से दिनांक 31.03.2027 की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना में सम्मिलित गतिविधियां-

योजना में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों (पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी आदि) के अतिरिक्त समस्त वैध विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नवीन उद्यम स्थापित करना, स्थापित उद्यम में विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण करना सम्मिलित होगा।

4. पात्रता-

अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक, जो-

(i) राजस्थान का मूल निवासी हो। जिसकी उम आवेदन के समय 18 वर्ष से अधिक हो।

(ii) केन्द्र अथवा राजकीय सेवा अथवा केन्द्रीय/राजकीय संस्थानों में कार्यरत नहीं हो।

(iii) भागीदारी एवं एलएलपी फर्म्स, सहकारी समिति एवं कम्पनी के मामलों में आवेदक संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व हो।

(iv) आवेदक पूर्व में बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के भुगतान में डिफाल्टर नहीं रहा हो।

(iv) आवेदक मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं दिवालिया घोषित न हो।

5. योजना के प्रमुख घटक-

5.1 प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता

DICCI / प्रतिष्ठित राष्ट्रीय /राज्य स्तरीय उद्योग संघ /परिसंघ /बैंकिग प्रशिक्षण संस्थान/ केन्द्र अथवा राजकीय संस्थानों आदि के सहयोग से खण्ड स्तर पर कार्यशालाओं एवं जागरूकता शिविरों के आयोजन के साथ जिला स्तर पर अधिकतम 2 सप्ताह के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

कार्यक्रमों की रूपरेखा, स्वरूप एवं संचालन के संबंध में आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

5.2 प्रशिक्षण

प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राजकीय संस्थानों यथा- भामाशाह टेक्नो हब, सीपेट, एफडीडीआई, सीएलआरआई, सीएफटीआरआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई, ईडीआई, निफ्ट, आईआईसीडी आदि में स्टाईपेंड सुविधा सहित आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की

जाएगी। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार हेतु पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

इस संबंध में आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

5.3 इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना-

DICCI/CII आदि के सहयोग से एमएसएमई सेक्टर के विभिन्न ट्रेड/उत्पादों के संबंध में पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन्क्यूबेशन सेन्टर में उद्यम स्थापना से पूर्व समस्त आवश्यक जानकारी, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने हेतु आधुनिक मशीनों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण, तकनीकी एवं दक्षता संवर्द्धन, उद्यम स्थापना हेतु वित्त का प्रबंध, उद्यम के संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, वित्तीय लेन-देन के स्वरूप एवं प्रक्रिया, वित्तीय लेखा का संधारण आदि के संबंध में पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना हेतु सहयोगी संस्थाओं का चयन एवं सहभागिता का निर्धारण, भूमि की व्यवस्था, इन्क्यूबेशन सेन्टर के स्वरूप एवं संचालन हेतु अपेक्षित मानदण्डों के निर्धारण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उद्योग विभाग में सक्षम स्तर पर स्वीकृति उपरान्त अपेक्षित विस्तृत दिशानिर्देश एवं बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

5.4 भूमि की व्यवस्था एवं अन्य परिलाभ-

(i) रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूमि आवंटन हेतु वर्तमान में संचालित नीलामी की व्यवस्था के स्थान पर आवंटन हेतु आरक्षित दर के आधार पर भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे।
(ii) इन वर्गों के उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखण्डों की निर्धारित सीमा 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर तक होगी।
(iii) इन वर्गों के उद्यमियों को वर्तमान में भूखण्ड आवंटन में देय आरक्षण की सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत होगी।
(iv) भूमि आवंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट दी जाएगी।
(v) इस योजना के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेन्चर केपिटल फंड (RIICO/Rajasthan Venture Capital Fund)

की 10 प्रतिशत भागीदारी अधिकतम 25 लाख रूपये प्रति इकाई किये जाने के विकल्प का प्रावधान किया जाएगा। यह एक अभिनव पहल है, जिससे इस वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकार की Partnership से उन्हें तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्रदत्त सहायता/सुविधाओं सहित इन वर्गों के उद्यमियों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 में पहले से उपलब्ध सुविधाओं सहित निम्नांकित अतिरिक्त परिलाभ/सुविधाएं दी जाएगी-

(a) विभिन्न थ्रस्ट सेक्टर्स में निर्धारित न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा।

(b) 100 प्रतिशत SGST पुनर्भरण 7 साल के लिए किया जायेगा।

(c) भूमि रूपांतरण शुल्क में 100 प्रतिशत रियायत प्रदान की जाएगी।

(d) जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट; जिसमें प्रारम्भ में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर पात्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा जमा कराई गई 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का पुनर्भरण किया जाएगा।

(e) योजनांतर्गत अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्लॉज-11 के अंतर्गत EFCI (पात्र निवेश) का 200 प्रतिशत होगी।

(f) यदि योजना के किसी अन्य क्लॉज के अंतर्गत ब्याज अनुदान या पूंजी अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है तो निम्नानुसार लाभ देय होगाः-

I. प्लांट एवं मशीनरी या इक्यूपमेंट्स में निवेश हेतु वित्तीय संस्थानों या राज्य वित्तीय संस्थान या आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक से उद्यम द्वारा लिये गए सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक, अधिकतम सीमा 25 लाख रू. प्रतिवर्ष।

अथवा

II. प्लांट एवं मशीनरी या इक्यूपमेंट्स में निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी अनुदान, अधिकतम 2 करोड़ रूपये।

6. ऋण सुविधा-

6.1 परिभाषाऐं

(i) उद्यमः उद्यम से तात्पर्य विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार से संबंधित गतिविधियों से संबंधित उद्यम से है।

(ii) वित्तीय संस्थानः वित्तीय संस्थान से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा पत्र प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/सीजीटीएमएसई अंतर्गत सदस्य वित्तीय संस्थान से है।

(iii) विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरणः विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण से तात्पर्य वर्तमान उद्यम के स्थाई पूँजी निवेश में ऋण के माध्यम से न्यूनतम 20 प्रतिशत वृद्धि कर उद्यम का विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण करना है।

(iv) परियोजना लागतः परियोजना लागत से तात्पर्य प्रोजेक्ट की सम्पूर्ण राशि जिसमें ऋणी का अंशदान, मार्जिन मनी सहायता तथा ऋण राशि सम्मिलित है।

(v) अंशदानः अंशदान से तात्पर्य परियोजना में ऋणी की सहभागिता राशि से है।

(vi) ऋणः ऋण से तात्पर्य सावधि ऋण अथवा सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी का योग है। ऋण में सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी का अनुपात योजना के प्रावधानानुसार होगा।

(vii) सीजीटीएमएसई शुल्कः सीजीटीएमएसई शुल्क से तात्पर्य सिडबी द्वारा संचालित सीजीटीएमएसई अन्तर्गत ऋण गारन्टी हेतु निर्धारित शुल्क से है।

6.2 ऋणदात्री बैंक/वित्तीय संस्थान

- सिडबी द्वारा संचालित सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सभी सदस्य बैंक।
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राजस्थान वित्त निगम।
- सीजीटीएमएसई अंतर्गत निर्धारित अधिकतम ऋण सीमा तक के प्रोजेक्ट्स सीजीटीएमएसई गारन्टी कवर में सम्मिलित हो सकेंगे, निर्धारित सीमा से अधिक ऋण राशि के प्रोजेक्ट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक /वित्तीय संस्थान ऋण प्रदान करेंगे।

6.3 परियोजना लागत

- विनिर्माण उद्यम- अधिकतम परियोजना लागत 10.00 करोड़ रूपये।
- सेवा उद्यम- अधिकतम परियोजना लागत 5.00 करोड़ रूपये।
- व्यापार क्षेत्र- अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड रूपये।
- इन उद्यमों हेतु ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण (सावधि एवं कार्यशील पूँजी ऋण) अथवा सावधि ऋण होगा। विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों की परियोजनाओं में कार्यशील पूँजी की सीमा कुल परियोजना लागत के अधिकतम 40 प्रतिशत तक होगी, जबकि व्यापारिक उद्यमों के मामलों में यह सीमा अधिकतम 90 प्रतिशत तक होगी। कार्यशील पूँजी घटक में कार्यशील पूँजी सावधी ऋण (WCTL) एवं कैश क्रेडिट लिमिट ही मान्य होगी। बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रचलित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण की आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण संबंधित वित्तीय संस्थान द्वारा किया जाएगा, इस संबंध में विवाद की स्थिति होने पर संबंधित वित्तीय संस्थान के सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा।

6.4 अंशदान एवं ऋण सीमा-

विनिर्माण उद्यमः-न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत
सेवा उद्यमः- न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत
व्यापार क्षेत्रः- न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत

6.5 ऋण की अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट -

ऋण की समयावधि 3 से 7 वर्ष तक होगी। योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक ही देय होगा। वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह की अवधि की शिथिलता प्रदान की जा सकेगी, जो उद्यम की प्रकृति/लाभप्रदता एवं ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित की जा सकेगी। ऋण अदायगी की शिथिलता अवधि में भी ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान देय होगा।

6.6 राजकीय सहायता-

6.6.1 सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारन्टी फीस

सिडबी द्वारा संचालित सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारन्टी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एन्टरप्राइजेज) अंतर्गत गारन्टी फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया

जाएगा। इस संबंध में लाभार्थियों की अनुमानित संख्या एवं ऋण राशि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सिडबी को एकमुश्त अग्रिम भुगतान किया जाएगा, सिडबी द्वारा लाभार्थीवार वार्षिक ब्यौरा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

6.6.2 मार्जिन मनी अनुदान

परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये, जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुदान राशि होगी। वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि का आवेदक को ऋण भुगतान किए जाने पर देय होगी। मार्जिन मनी अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपोजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर राज्य सरकार को न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा और न ही इस राशि के समतुल्य ऋण राशि पर संबंधित ऋणी से ब्याज वसूल किया जाएगा।

प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ऋण वितरण उपरान्त तीन वर्ष तक उद्यम संचालित करने एवं ऋणी के डिफाल्टर नहीं होने पर विभागीय जाँच उपरान्त समायोजन आदेश जारी करने पर तदनुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋणी के खाते में समायोजित कर दी जाएगी। उद्यमी द्वारा 3 वर्ष तक उद्यम संचालित नहीं किये जाने की स्थिति में समस्त मार्जिन मनी राशि बैंक द्वारा उद्योग विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी योजना में मार्जिन मनी सहायता प्राप्त कर रहे आवेदक इस योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायता के लिए पात्र नहीं होगा किन्तु आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु संचालित अन्य योजनाओं में नियमानुसार पात्र होगें।

6.6.3 ब्याज अनुदान

ऋण सीमा	ब्याज अनुदान
25 लाख रू. से कम	9 प्रतिशत
25 लाख से 5 करोड़ रू. तक	7 प्रतिशत
5 करोड़ से 10 करोड़ रू. तक	6 प्रतिशत

ब्याज अनुदान की राशि किसी भी दशा में ऋणी द्वारा ऋण के पेटे चुकाई गई ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी। केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी योजना में ब्याज

अनुदान सुविधा प्राप्त कर रहे आवेदक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगें किन्तु आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु संचालित अन्य योजनाओं में नियमानुसार पात्र होगें।

ऋणी द्वारा ऋण के पेटे ब्याज राशि का भुगतान किए जाने पर पुनर्भरण के रूप में त्रैमासिक आधार पर ऑनलाईन सहायता प्रदान की जाएगी।

नोटः विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के मामलों में विस्तारित प्रोजेक्ट हेतु लिए गए अतिरिक्त कम्पोजिट ऋण अथवा अतिरिक्त सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी पर ही उपरोक्त सहायता/सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

6.7 ऋण गारन्टी/सम्पार्शिवक प्रतिभूतिः

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण पर सम्पार्शिवक प्रतिभूति की माँग नहीं की जाएगी।

सिडबी द्वारा संचालित सीजीटीएमएसई में नियमानुसार पात्र प्रोजेक्ट्स में गारन्टी कवर उपलब्ध होगा, अन्य प्रोजेक्ट्स में सम्पार्शिवक प्रतिभूति की माँग संबंधित ऋणदात्री बैंक नियमानुसार कर सकेंगे।

6.8 क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंगः

योजनान्तर्गत आवेदन पत्र के प्रारूप का निर्धारण, अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति, आवेदन प्रक्रिया, सीजीटीएमएसई अंतर्गत गारन्टी फीस, मार्जिन मनी सहायता एवं ब्याज अनुदान वितरण के संबंध में पीडी खाता खोलने सहित अपेक्षित समस्त कार्यवाही एवं विस्तृत दिशानिर्देश आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य के कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

6.9 क्रियान्वयन एजेंसीः

योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जावेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित किये जावेंगे। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य स्तर पर योजना की मोनेटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी होंगा।

6.10 योजना में परिवर्तन/संशोधनः

योजना में परिवर्तन एवं संशोधन हेतु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (एमएसएमई) सक्षम होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी करने एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सक्षम होंगे।

6.11 आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयनः

6.11.1 योजना में आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। आवेदन की प्रक्रिया को सुगम्य बनाने हेतु प्रत्येक माह निर्धारित तिथि को शिविर आयोजित कर आवेदकों को योजना एवं ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी। इन शिविरों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग लिया जा सकेगा।

6.11.2 योजनान्तर्गत क्रेडिट गारन्टी ट्रस्ट फंड में पंजीयन व वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ करार निष्पादित किया जाएगा। इस हेतु निजी निक्षेप खाते के माध्यम से सिडबी में वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष अनुमानित एकमुश्त राशि जमा कराई जाएगी। योजनान्तर्गत ऋणदात्री संस्था से आवेदन प्राप्त होते ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ऋण गारन्टी हेतु जमा राशि में से गारन्टी कवर जारी किया जा सकेगा।

6.11.3 ऋणदात्री वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि की प्रथम किश्त का भुगतान किए जाने पर विभाग द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थान को निजी निक्षेप खाते के माध्यम से मार्जिन मनी अनुदान राशि ऑनलाइन अंतरित की जा सकेगी।

6.11.4 योजनान्तर्गत सीजीटीएमएसई गारन्टी फीस, मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलीकृत व पूर्णतः कम्प्यूटर आधारित किया जावेगा। इस हेतु संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंको से करार कर ऑनलाइन क्लेम प्राप्त करने तथा ऑनलाइन भुगतान करने और आवश्यक लेखे तैयार करने हेतु वेबपोर्टल तैयार किया जावेगा।

6.11.5 योजना के सुचारू संचालन हेतु संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों को मार्जिन मनी राशि व ब्याज अनुदान राशि के त्वरित भुगतान हेतु निजी निक्षेप खाता खोला जावेगा, इसके अंतर्गत स्कीम आधारित खाते के माध्यम से समस्त प्रकार के भुगतान किए जाएंगे।

6.11.6 उद्देश्य के अनुरूप ऋण का समुचित उपयोग एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिये कार्यालय के अधिकारियों या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी से आवश्यक वैल्यूएशन या सत्यापन कराया जा सकेगा।

6.11.7 ऋण आवेदक को आवेदन के तुरंत पश्चात् समय समय पर उसके आवेदन के सम्बन्ध में हुये स्थिति परिवर्तन यथा आक्षेप, साक्षात्कार तिथि, बैंक को आवेदन अग्रेषण तिथि, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति तिथि, ऋण वितरण तिथि, अनुदान क्लेम की प्राप्ति व उनके निस्तारण के सम्बन्ध में समय समय पर एस.एम.एस./मेल पर पोर्टल द्वारा सूचित किये जाने की व्यवस्था की जावेगी। इस फोलोअप से उद्यमी अपने सुझाव और समस्या से अधिकारियों को अवगत करा सकेंगे।

6.11.8 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को CGTMSE की राशि तथा मार्जिन मनी राशि व ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु मुख्यालय स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा, जिसमें विभागीय अधिकारी के साथ लेखा शाखा का अधिकारी (सहायक लेखाधिकारी II) एवं कम्प्यूटर में दक्ष लिपिकीय कार्मिक होगा।

6.11.9 प्रत्येक जिले में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र व रुडसेट/आरसेटी संस्थानों के सहयोग से उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता शिविरों में अपेक्षित ओरिएंटेशन, मेंटरिंग एवं इन्क्युबेशन के साथ आवेदक को ऋण पश्चात् मॉनिटरिंग व फॉलोअप की सुविधा विकसित की जावेगी, जिसके लिये प्रत्येक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण, प्रभावी मॉनिटरिंग, वेब पोर्टल का निर्माण एवं संचालन, प्रशिक्षण, इन्टरनेट सहित कम्प्यूटर एवं आवेदकों को हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु विशेषज्ञ की सेवाओं सहित समस्त अपेक्षित गतिविधियों के संचालन हेतु प्रति वर्ष प्रावधित बजट में से अधिकतम 5 प्रतिशत राशि आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य के निर्देशानुसार व्यय की जा सकेगी।

6.12 निर्बन्धन एवं शर्तें:

6.12.1 योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं वितरित ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा, जिसके लिये ऋण स्वीकृत किया गया है।

6.12.2 CGTMSE पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क की राशि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिये जाने पर ही देय होगी।

6.12.3 मार्जिनमनी राशि का भुगतान ऋण दात्री संस्थान द्वारा ऋण की प्रथम किश्त जारी करने पर ही किया जावेगा जो बैंक में ऋणी के नाम से शॉर्ट टर्म डिपोजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर राज्य सरकार को न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा और न ही इस राशि के समतुल्य ऋण राशि पर संबंधित ऋणी से ब्याज वसूल किया जाएगा।

6.12.4 प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ऋण वितरण उपरान्त तीन वर्ष तक उद्यम संचालित करने एवं ऋणी के डिफाल्टर नहीं होने पर विभागीय जाँच उपरान्त समायोजन आदेश जारी करने पर तद्नुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋणी के खाते में समायोजित कर दी जाएगी। उपक्रम के 3 वर्ष पूर्व बन्द होने की स्थिति में बैंक द्वारा मार्जिन मनी राशि उद्योग विभाग को लौटानी होगी।

6.12.5 ब्याज अनुदान सहायता, उद्यमी द्वारा ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर ऋण वितरण की प्रथम तिथि से पाँच वर्ष तक देय होगी। इस हेतु ऋणदात्री वित्तीय संस्था को मांग पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि ऋणी ऋण अदायगी का दोषी नहीं रहा है व परियोजना निरंतर कार्यरत है।

6.12.6 ऋण खाता गैर निष्पादित श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालांतर में नियमित कर दिए जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान भी ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अध्याधीन देय होगा।

6.13 इस योजना में किसी भी बिंदु की व्याख्या, योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के अधिकार आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान सरकार में निहित होंगे।

6.14 योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2022 के प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश निर्धारित किये जाते हैं:

6.14.1 आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु टास्कफोर्स समितिः

योजनान्तर्गत 10 लाख रू. तक की परियोजना हेतु ऋण आवेदन पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पात्रता की जांच कर स्वयं के स्तर से बैंक को अग्रेषित किये जा सकेंगे, उक्त प्रक्रिया में जिस आवेदक का

आवेदन निरस्त किया जावेगा, वह उसके पुनरीक्षण हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को आवेदन कर सकेगा, जिसमें महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र आवेदक की सुनवाई कर यथोचित निर्णय लेंगे, प्रकरण में उनका निर्णय अंतिम होगा।

6.14.2 योजनान्तर्गत 10 लाख रू. से अधिक लागत की परियोजनाओं हेतु ऋण आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगेः

(i)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	अध्यक्ष
(ii)	जिले के अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबन्धक या अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	स्थानीय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ पॉलीटेक्निक/ आई.टी.आई के प्रतिनिधि	तकनीकी सदस्य
(v)	जिला रोजगार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(vii)	महाप्रबंधक, जि.उ.के. द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

(नोटः उक्त समिति में बैंक के एक प्रतिनिधि सहित न्यूनतम 4 सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है।)

टास्क फोर्स समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी।

उक्त टास्क फोर्स समिति साक्षात्कार के माध्यम से आवेदकों की प्रस्तावित उद्यम के संबंध में शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, पैतृक/अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उद्यम में आवेदक की रूचि, आवेदक की उद्यमिता योग्यता, उद्यम की सफलता की संभावना, बाजार संभावना, ऋण अदायगी के प्रति आवेदक की ईमानदारी आदि का आंकलन आदि के आधार पर योग्य/पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र ऋणदात्री वित्तीय संस्थान शाखा को अग्रेषित किया जायेगा।

6.14.3 विशेष वर्गों/उद्यमों को वरीयता :-

योजना के अन्तर्गत आवेदकों के चयन में निम्नलिखित वर्गों को विशेष वरीयता दी जाएगी :-

(i) ऐसे संस्थागत आवेदक, जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं अथवा वे उत्पादन के एक स्तर या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यवसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं।

(ii) ऐसे आवेदक, जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी/उद्यमिता संस्थान से प्रशिक्षित है।

(iii) ऐसे आवेदक, जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं।

(iv) ऐसे अनेक श्रमिक हैं, जो किसी उद्यम में लम्बे समय तक कार्य करते रहने के कारण वे उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं, ऐसे श्रमिकों या उनके समूहों को भी विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है।

(v) ऐसे आवेदक, जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक या हस्तशिल्प में आर्टीजन कार्ड धारक है।

(vi) ऐसे आवेदक, जो किसी ऐसे नवाचार या अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हों, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हो।

(vii) ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना हो।

(viii) ऐसे आवेदक, जिनकी प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों क्षेत्रों में वृद्धि संभावित हो, जैसे - रेडिमेड वस्त्र निर्माण, डिजाइन इत्यादि।

(ix) ऐसे आवेदक, जो सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करना चाहते हैं।

नोट :- योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य इनके लिए एक निश्चित टाईम मैट्रिक्स निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

6.14.4 संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें :-

संस्थागत आवेदकों (निर्धारित स्वयं सहायता समूह एवं सोसायटी) हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त पात्रता शर्तें होगी :-

(i) स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियम/योजना के अन्तर्गत गठित होना चाहिए।

(ii) स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी एवं अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार से संबंधित होने चाहिए।

(iii) स्वयं सहायता समूह को राज्य सरकार के किसी विभाग या वित्तीय संस्थान द्वारा तत्समय डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया हो।

(iv) स्वयं सहायता समूह के गठन को कम से कम 6 माह हो गया हो तथा गठन के एक वर्ष की अवधि के उपरान्त भी न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारस्परिक लेन-देन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकार्ड संधारित होना चाहिए।

(v) स्वयं सहायता समूह से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।

(vi) सहकारी विभाग से पंजीकृत संस्था या सहकारी समिति, जिनके लेखों का नियमित अंकेक्षण हो रहा हो एवं उत्पादन गतिविधि में सम्मिलित हो, भी योजनान्तर्गत ऋण हेतु पात्र मानी जाएगी, बशर्ते सहकारी समिति/संस्था के सभी प्रमोटर राजस्थान के निवासी हों और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के प्रमोटर का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व हो।

(vii) योजनान्तर्गत कंपनी पंजीयक के यहाँ पंजीकृत (प्राइवेट लि./उत्पादक संघ के रूप में पंजीकृत) कंपनियां भी ऋण हेतु पात्र होंगी बशर्ते कंपनी के सभी प्रमोटर राजस्थान के निवासी हों और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के प्रमोटर का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व हो।

(viii) योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के यहाँ पंजीकृत भागीदारी फर्म भी ऋण हेतु पात्र होंगी बशर्ते फर्म के सभी भागीदार राजस्थान राज्य के निवासी हों और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के प्रमोटर का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामित्व हो।

6.14.5 आवेदन पत्र का मूल्यांकन

आवेदन पत्र के एक भाग के रूप में आवेदक से अन्य जानकारी के साथ ही परियोजना प्रतिवेदन हेतु जानकारी मांगी जावेगी। उक्त जानकारी के आधार पर पोर्टल पर एक परियोजना प्रतिवेदन स्वतः तैयार हो जावेगा, यही नहीं यह परियोजना का विश्लेषण कर निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में परिणाम भी तुरन्त उपलब्ध करा देगाः

1. बिक्री पर वार्षिक लाभ का प्रतिशत,
2. निवेश पर लाभ का प्रतिशत,

3. उधार सेवा अनुपात DSCR
4. ब्रेक इवन बिन्दु

सामान्यतः 1.76 से कम DSCR और/या 40 से अधिक BEP आने पर पोर्टल स्वतः परियोजना के व्यवहार्य नहीं होने की जानकारी दे देगा।

व्यवहार्य प्रकरण बैंक को अग्रेषित किये जाने पर बैंक प्रस्तावित बिक्री संभावना बिक्री/सेवा लागत के सत्यापन पश्चात आवेदन पर तुरन्त कार्यवाही कर सकेगा।

6.15 वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं प्रगति की समीक्षा

योजना की परिचालन अवधि में प्रति वर्ष उद्योग विभाग द्वारा योजनान्तर्गत जिलेवार वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, जागरूकता शिविरों का आयोजन, अपेक्षित भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करते हुए आईटी आधारित सेवा के माध्यम से लक्षित वर्ग को लाभान्वित किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकिंग समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकिग समिति की बैठकों में योजना की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(केसरलाल मीना)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।

11. निदेशक, प्रिटिंग एवं स्टेशनरी, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।

12. वित्तीय सलाहकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग।

13. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, समस्त, राजस्थान।

14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव